23/6/2017 — पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बालसेन में प्रस्तुत हुई। अन्य पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रकरण नोट प्रेस करने हेतु निवेदन किया कि प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण नोट प्रेस में खारिज [illegible] प्रकरण नोट [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुदा [illegible] में जमा हो। [illegible] कुमार हाजिर ना [illegible]

Not Press किया
[illegible]
28/1/0/17

23.6.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:27 IST
Reason: SelfAttested